

संदर्भ संख्या

/एसआईडीसी/

दिनांक

कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश संख्या 801-804/एसआईडीसी/आईए पॉलिसी इश्यूज-एमडीज दिनांक 08.08.2014 जिसके द्वारा औद्योगिक भूखण्डों से सम्बन्धित नीति को सरलीकृत किया गया है के प्रस्तर-ग में वर्णित नीति को अतिरिक्त रूप से स्पष्ट किया जाता है कि नये हस्तान्तरण के मामलों में हस्तान्तरण की तिथि को प्रचलित औद्योगिक क्षेत्र के दर पर लीजरेन्ट की गणना की जायेगी। इसी प्रकार से इसी दर के अनुसार आगणित वार्षिक लीजरेन्ट का 11 गुना, एक मुश्त लीजरेन्ट के रूप में भुगतान किया जा सकेगा।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

पृ०सं० 650-653/एसआईडीसी/प्र० नि० ५५

दिनांक: 14-08-2014

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
2. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी/अधिशासी अभियन्ता, यूपीएसआईडीसी।
3. श्री सुबोध सक्सेना, उपप्रबन्धक, (औद्योगिक क्षेत्र), यूपीएसआईडीसी, कानपुर।
4. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीएसआईडीसी, कानपुर को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(मनोज सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

Mgr (c)
Khanji

Dy Mgr (SV)
Lsg

21/8/14

PM
Rdylh
21/08/14

75/comp
21/8/14